भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3806

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीसरी भाषा

†3806. **श्री माथेश्वरन वी. एस.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुसार उन राज्यों के लिए तीसरी भाषा रखना अनिवार्य है जिनकी प्रथम भाषा हिंदी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तीसरी भाषा के विकल्प का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के पैरा 4.13 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रि-भाषा सूत्र का कार्यान्वयन जारी रहेगा। तथापि, त्रि-भाषा सूत्र में अधिक लचीलापन होगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा अधिरोपित नहीं की जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएँ राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों की पसंद होंगी, बशर्ते कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत की मूल भाषाएँ हों। विशेषत:, जो विद्यार्थी उनके द्वारा पढ़ी जा रही तीन भाषाओं मे से एक या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं, वे कक्षा 6 अथवा 7 में ऐसा कर सकते हैं, जब तक कि वे माध्यमिक विद्यालय के अंत तक तीन भाषाओं (साहित्य स्तर पर भारत की एक भाषा सहित) में बुनियादी दक्षता प्रदर्शित करने में सक्षम हो सकें।

(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में त्रि-भाषा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**राज्य**	**त्रि-भाषा**
1.	उत्तर प्रदेश	उर्दू/संस्कृत
2.	मध्य प्रदेश	संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी या मराठी
3.	बिहार	उर्दू/संस्कृत

****